THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATTYA): (a) A statement showing the details of job-seekers, who were on the live register of employment exchanges in the country as at the end of 1996, 1997 & August, 1998 is enclosed; all persons on the live register of employment exchanges are not necessarily unemployed. (*See* below)

(b) No, Sir.

(c) The approach to the Ninth Plan envisages priority to agriculture and rural development with a view to generating adequate productive employment and eradication of poverty. Greater productive employment will be generated in the growth process itself by concentrating on sectors, sub-sectors and technologies which are labour intensive, in regions characterised by higher rates of unemployment and underemployment.

Statement

State-wise No. of persons Registered with Employment Exchanges at the end of 1996-97 & August, 1998

(In Thousand)

Sl. No.	State/UT	at the end of		
		1996	1997	August, 1998
1	2	3	4	5
1.	Andhra Pradesh	2937.6	3087.5	3180.8
2.	Arunachal Pradesh	7.0	10.8	12.4
3.	Assam	1296.0	1475.0	1484.2
4.	Bihar	3465.5	3351.3	3326.8
5.	Goa	102.7	109.0	111.0
6.	Gujarat	931.3	942.3	935.1
7.	Haryana	756.3	787.1	814.0
8.	Himachal Pradesh	638.4	718.3	742.3
9.	Jammu and Kashmir	152.9	164.7	163.7
10.	Karnataka	1808.5	1831.6	1868.5
11.	Kerala	3274.1	3531.8	3675.0
12.	Madhya Pradesh	2293.6	2377.4	2525.2
13.	Maharashtra	3815.9	3923.5	4107.7
14.	Manipur	292.1	318.1	326.2
15.	Meghalaya	28.0	34.4	34.1
16.	Mizoram	48.8	67.9	74.9
17.	Nagaland	20.6	21.7	26.8
18.	Orissa	963.5	977.3	947.8
19.	Punjab	540.0	580.6	580.8
20.	Rajasthan	886.9	873.8	880.5
21.	Sikkim*			
22.	Tamil Nadu	3607.7	3896.1	4145.2
23.	Tripura	205.9	212.5	241.9
24.	Uttar Pradesh	2491.6	2696.8	2714.7
25.	West Bengal	5468.8	5739.0	5880.5
26.	A & N Islands	21.6	25.0	26.4
27.	Chandigarh	139.7	124.7	113.5
28.	D. & N. Haveli	5.0	5.5	5.8
29.	Delhi	1081.2	1097.4	117.0
30.	Daman and Diu	5.0	5.5	5.8
31.	Lakshaweep	9.7	8.8	9.3
32.	Pondicherry	133.8	144.5	145.9
	TOTAL	37429.7	39139.9	40223.7

NOTE: 1. * No employment exchange is functioning in the State.

2. Totals may not tally due to rounding.

Problems of Senior Citizens

90. DR. ALLADI P. RAJKUMAR:
SHRI P. PRABHAKAR REDDY:

Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) The number of senior citizens in the country as on date;

(b) Whether Government have carried out any study as to the financial, social, medical and other problems and hardships faced by them;

(c) if so, the steps Government propose to take to offer relief to the senior citizens; and

(d) if the answer to part (b) above be in the negative, whether it is proposed to take up the matter now and formulate a policy in this behalf?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPLOYMENT (SHRIMATI MANEKA GANDHI): (a) As per the 1991 Census there were 56, 68 million persons aged 60 years and above in the country.

(b) While studies have been carried out on some aspects of the problems and hardships being faced by senior citizens, no All India Study covering all the listed aspects has been carried out.

(c) and (d) The Government has a number of ongoing programmes which seek to provide

relief and assistance to senior citizens including provision of old age pension for destitute older persons, travel related concessions, old age homes, day care centres and mobile medicare units. The formulation of a National Policy for Older Persons is also under consideration of the Government.

कच्छ को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने संबंधी अध्यादेश

91. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:**
श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात के कच्छ क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने के लिए किसी प्रस्ताव को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पूरे कच्छ क्षेत्र को उक्त श्रेणी में रखने के लिए कोई अध्यादेश जारी किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मानसिक रूप से विकलांग महिलाओं की देखभाल

92. **श्रीमती सरोज दुबे:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मानसिक रूप से विकलांग महिलाओं की देखभाल और उन्हें स्वावलम्बी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इस संबंध में कोई नई नीति बनाने जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार किन उपायों के जरिए मानसिक रूप से विकलांग महिलाओं की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण करेगी?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रलय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (घ) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 संसद द्वारा पारित किया गया है जो विकलांग व्यक्तियों के समग्र कल्याण की देखभाल करता है। मंत्रिमंडल ने हाल ही में विकलांग व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय न्यास स्थापित करने का अनुमोदन किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मानसिक रूप से विकलांग महिलाओं के कल्याण के लिए प्रावधान होगा।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्यक्रम

93. **श्रीमती सरोज दुबे:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि 60 वर्ष से उपर आयु वाले लोगों की संख्या पिछले एक दशक से दुगुनी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उनमें से महिलाओं की संख्या कितनी है; और

(ग) वृद्ध पुरुषों और महिलाओं के लिए लागू किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रलय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) नवीनतम जनगणना के अनुसार देश में 60 वर्ष की आयु से उपर के व्यक्ति-व्यक्तियों की संख्या 1981 के 43.16 मिलियन से बढ़ कर 1991 में 56.68 मिलियन हो गई है। हालांकि वर्ष 1981 में 60 वर्ष की आयु से उपर की महिलाओं की संख्या 21.14 मिलियन थी। वर्ष 1991 में उनकी संख्या बढ़कर 27.31 मिलियन हो गई। वृद्ध व्यक्तियों के लिए सरकार के चल रहे कार्यक्रमों में निराश्रित वृद्ध व्यक्तियों के लिए वृद्धावस्था पेंशन, यात्रा से संबंधित रियायतें, वृद्धावस्था गृह, दिवा देखभाल केन्द्र तथा चलता फिरता चिकित्सा एकक का प्रावधान शामिल है। इन कार्यक्रमों में वृद्ध पुरुष तथा महिलाएं दोनों शामिल हैं।

Assistance to NGOs in Assam

94. SHRIMATI BASANTI SARMA: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) the quantum of assistance provided to the voluntary organisations and NGOs functioning at present in the State of Assam during the last three years and till date, NGO-wise, year-wise;